प्रपत्र – 23.2

परियोजना का नाम – कुनारा पासा नहर निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का सिंचाई विभाग को को हस्तान्तरण

कार्यालय उपजिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति – मोरी

उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत कुनारा पासा नहर (0.690 है0 आरक्षित वन भूमि –हे0 सिविल एंव सोयम वन भूमि –हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 0.69 है0 वन भूमि) सिंचाई विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील मोरी) की दिनांक 26.9.15 को सम्पन बैठक की कार्यवाही का विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वनअधिकार समिति की बैठक श्री राजकुमार पाण्डे उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वनधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी है। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है –

1	R K Pandey	SDM Purola	अध्यक्ष
2	श्री. के. पी. वर्मा	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य / सचिव
3	" डी० डी० नौटियाल	स० वि० अ० (समाजकल्याण) वि०ख० मोरी	सदस्य
4	श्रीमति [illegible] कुमारी देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य ([illegible])	सदस्य

उपखण्ड सचीव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। माननीय सदस्यो को अवगत करवाया गया कि कुनारा पासा नहर परियोजना हेतु 0.69 है0 भूमि सिंचाई विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित की जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यो के समक्ष रखा गया । ग्राम सभा के अन्तर्गत वनधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन कि अनुसंशा कि गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी,टौन्स वनप्रभाग पुरोला द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धि नियम 2 के प्रावधानो को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यो को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया